न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2022/458
मुकदमा नम्बर 100/2022 दायर दिनांक–28.09.2022

हरलाल पुत्र भोमाराम जाति माली, निवासी झरडावाली ढाणी तन बिरोल ,तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रुघाराम पुत्र गोगड जाति माली निवासी, झरडावाली ढाणी तन बिरोल, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित
अनावेदक सं. 1 –श्रीमती स्नेहलता वर्मा
अनावेदक सं. 2 –पैरो. राज.

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

दिनांक –01.05.2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम झरडावाली ढाणी कृषि भूमि खाता सं. नया 270 पुराना 277 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1724/549 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 1761/550 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 है0 तक पहुॅचने के लिए अनावेदक की काश्त की भूमि खाता सं. नया 202 व पुराना 290 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 547 रकबा 0.17 है0 की दक्षिणी सीमा से 10 फीट चौडाई का रास्ता दिलवाया जावे। आवेदक उपरोक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि अथवा न्यायालय के आदेशानुसार डी.एल.सी. रेट की दुगनी राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 01 की और से जरिये वकील उपस्थित, जवाब प्रा. पत्र पेश नही किये जाने से बन्द किया गया। अनावेदक सं. 2 की और से पैरो. राज उपस्थित हो रिपोर्ट तहसीलदार कमांक/राजस्व/2025/02 दिनांक 07.01.2025 पेश की गई, जिसके अनुसार मुताबिक नजरी नक्शा ए से बी बिन्दू की मौके पर लंबाई 25 मीटर यानि 82 फीट x 10फीट= 820 वर्ग फीट यानि 76.20 वर्ग मीटर होती है। आवेदित भूमि के सबंध मे लघुतम व निकटतम रास्ता जो भूमि ख.नं. 547 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे की लंबाई 20 मीटर है, इस प्रकार से 66 फीट x 10फीट= 660 वर्ग फीट यानि 61.33 वर्ग मीटर होती

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

है। भूमि खसरा नं. 1724/549 तक पहुॅच के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदित भूमि में रास्ते के सम्बन्ध में लघुतम/निकटतम रास्ता सी से डी का रकबा 61.33 वर्ग मीटर होता है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/02 दिनांक 07.01.2025 के अनुसार आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम व निकटतम रास्ता नही बनता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/02 दिनांक 07.01.2025 अनुसार पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झरडावाली ढाणी कृषि भूमि खाता सं. नया 270 पुराना 277 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1724/549 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 1761/550 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.31 है0 तक पहुॅचने के लिए अनावेदक की काश्त की भूमि खाता सं. नया 202 व पुराना 290 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 547 रकबा 0.17 है0 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे, मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के बिन्दू सं. सी से डी अनुसार लंबाई 66 फीट x 10 फीट = 660 वर्ग फीट यानि 61.33 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज कर कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले में उतनी ही भूमि यानि 61.33 वर्ग मीटर खसरा नं. 1724/549 से कम करके समायोजित कर दी जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड, मौके पर व खातेदारी दर्ज रिकार्ड किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/02 दिनांक 07.01.2025 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश मौके एंव राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके नियमानुसार अवरोध हटाकर,रास्ता कायम कर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़